प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.08.2025

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल, 04 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 30.08.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा अपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में डीएवी कट पर चेकिंग की जा रही थी तभी मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति सवार लोहिया पार्क की तरफ से आते दिखाई दिए पास आने पर पुलिस पार्टी द्वारा टार्च की रोशनी से चैकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया गया तो नही रुके और अपनी मोटर साइकिल को तेजी से BSNL ऑफिस वाली गली की तरफ मोड़कर भागने लगे। पुलिस वालों को शक बदमाश होने पर भाग रहे व्यक्तियों का पीछा किया गया तो मोटर साइकिल पर तेजी से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस टीम को पीछे आते देख अपनी मोटर साइकिल को और तेजी से भगाने लगे तथा बारिश का पानी भरे होने के कारण BSNL ऑफिस वाली गली में कूड़े के ढेर के आगे फिसल कर गिर गए और पुलिस पार्टी को पीछे आता देख भाग रहे बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायर किया गया। जिसमें भाग रहे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई । जिससे एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया पुलिस टीम ने बदमाश का पीछा कर पकड लिया गया। जिसने अपना नाम कल्लू उर्फ कृष्ण पुत्र मेहरचन्द पता ग्राम शरीफाबाबाद राजपुर पोस्ट फरूखनगर तहशील लोनी थाना टीलामोड कमि० गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष व घायल बदमाश ने अपना नाम जोगिंदर बली पुत्र ओमप्रकाश पता ग्राम बली तहसील बागपत थाना बागपत उम्र करीब 46 वर्ष। जिनके कब्जे से 01 पिस्टल, 04 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुआ। घायल बदमाश को उपचार हेतु एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. जोगिंदर बली पुत्र ओमप्रकाश पता ग्राम बली तहसील बागपत थाना बागपत उम्र करीब 46 वर्ष।
2. कल्लू उर्फ कृष्ण पुत्र मेहरचन्द पता ग्राम शरीफाबाबाद राजपुर पोस्ट फरूखनगर तहशील लोनी थाना टीलामोड कमि० गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 पिस्टल, 04 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त जोगिन्दर बली उपरोक्त पर गाजियाबाद बागपत व विभिन्न जनपदो में लूट, स्नैचिंग, चोरी आदि से सम्बन्धित 30 से अधिक अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू उर्फ कृष्ण उपरोक्त पर 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम ।

थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री धवल जयसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिहानीगेट पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

थाना – सिहानीगेट

वाहन चोरी की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 0283/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापो (निवारण) अधि0 1986 बनाम निम्नोत्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगो की संख्या
1	प्रदीप उर्फ बौना पुत्र हरिकिशन नि0 बबली के मकान के पास दौलतराम कालोनी दादरी ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर (डासना जेल)	D - 378	7
2	जीतू पुत्र हरिकिशन नि0 सूत मिल चौराहा टीवीएस एजेंसी के सामने थाना बन्नादेवी जिला अलीगढ	D - 378	6

थाना निवाडी पुलिस द्वारा लूट करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना निवाडी पर समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त 02 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा ।

गिरोह सरगना धनन्जय ने अपने सहअभियुक्त के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह की सक्रियता जनपदीय है व इस गिरोह द्वारा लूट जैसे अपराध कारित कर धन व अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है।

लूट की घटनाएं कारित कर अनुचित तरीके से धनोपार्जन करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना निवाडी पर मु0अ0सं0 144/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कराया गया।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1. **गैंग लीडर -** धनन्जय पुत्र स्व0 विजय सिंह निवासी एफ-399 सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली हाल पता बी-85 मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद ,उम्र करीब 36 वर्ष

2. राशिद पुत्र मंजूर निवासी रामपाल सैनी का मकान ईदगाह कालोनी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद हाल पता सरना वाली गली तकिया वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद,उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास			
क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	धनन्जय पुत्र स्व0 विजय सिंह निवासी एफ-399 सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली हाल पता बी-85 मास्टर कालोनी गरिमा गार्डन थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष,	लूट जैसे अपराधों से संबंधित **डी-377/2025**	03
2	राशिद पुत्र मंजूर निवासी रामपाल सैनी का मकान ईदगाह कालोनी फरूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद हाल पता सरना वाली गली तकिया वाली मस्जिद के पास कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष	लूट जैसे अपराधों से संबंधित **डी-377/2025**	03

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार,कब्जे से एक चोरी का सीएनजी ऑटो बरामद।

दिनांक 29/08/25 को वादी श्री आकाश गुप्ता पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता नि0 ब्रह्मपुरी मोदीनगर कमि0 गाजियाबाद ने सूचना दी कि मेरा सीएनजी ऑटो UP 14 ET 9224 हिण्डन धर्म काँटा मेरठ रोड से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरो व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 30-08-25 को मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नन्दी पार्क के पास से अभि0 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवा उर्फ शिब्बा पुत्र संजय निवासी म0न0 213 गली न0 1 सेवा भारती वाली गली 40 फुटा रोड नंदग्राम थाना नंदग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शिवा उर्फ शिब्बा उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी व फर्जी नम्बर प्लेट के कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभि0 शिवा उर्फ शिब्बा ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ, अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी जैसे अपराध कारित करता हूँ।

बरामदगी का विवरण—
सीएनजी ऑटो नं0- UP14ET9224

गिरफ्तारी करने वाली टीम-
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनांक 26.08.2025 को जारी की गई निषेधाज्ञा/निर्देशों के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में स्क्रैप व्यापारी व डीलरों के साथ गोष्ठी की गई।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने, व असमाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दिनांक 26.08.2025 को स्क्रैप व्यापारी व डीलरों द्वारा अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में जारी की गयी निषेधाज्ञा/निर्देशों के सम्बन्ध में, श्री आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं कानून-व्यवस्था, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा परमजीत हॉल, रिजर्व पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद में आज दिनांक 30-08-2025 को समय 18.00 बजे स्क्रैप व्यापारी व डीलरों को साथ गोष्ठी कर अनुपालन करने हेतु निम्न निर्देश दिये गयेः-

स्क्रैप डीलर व एजेन्टों द्वारा किये जाने वाले अनुपालन के संबंध में-

(1) अपने कर्मचारियों, क्रेताओं और विक्रेताओं का डाटाबेस बनायेंगे।
(2) स्क्रैप सामग्री के सभी लेन-देन से सम्बन्धित क्रेता और विक्रेता रजिस्टर बनायेंगे।
(3) स्क्रैप की दुकानो/गोदामों और सामान रखने वाले क्षेत्र को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त संख्या में रिकॉर्डिंग तथा प्लेबैक सुविधा के साथ सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित करेंगे।
(4) सी०सी०टी०वी० कवरेज का रिकॉर्ड कम से कम 30 दिनों तक डी०वी०आर० में सुरक्षित रखेंगे।
(5) रजिस्टर में प्रत्येक क्रेता और विक्रेता की तस्वीरें चस्पा करेंगे।
(6) यदि किसी क्रेता या विक्रेता या स्क्रैप सामग्री के संदिग्ध होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे।
(7) उन क्रेताओं और विक्रेताओं का उचित रिकॉर्ड रखेंगे, जिन्हें स्क्रैप सामग्री बेची है या जिनसे स्क्रैप सामग्री खरीदी है।
(8) अपने सभी कर्मचारियों का उनके पूर्व के कार्यस्थल से सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वादी की पत्नी को तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मारने वाला वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चार पहिया वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 30.08.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी भगवानदास अहिरवार पुत्र कमला अहिरवार निवासी एन-2 नवीन पार्क रामा मोटर्स के बगल में, श्याम पार्क एक्स थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर की दिनांक 29.08.2025 को मेरी पत्नी सीता अहिरवार उम्र करीब 41 वर्ष राजेन्द्र नगर सै0 5 से घर आ रही थी तभी रास्ते में UP14FP8120 क्रेटा के चालक नाम पता अज्ञात ने तेज रफ्तार से आकाश प्लाजा गंगा डेयरी के सामने मेरी पत्नी में टक्कर मार दी जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गई। जिसे तुरन्त नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल ले जाया गया। जहाँ पर डा0 द्वारा मेरी पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 281,106 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट व सीसीटीवी फुटेज की सहायता से उक्त घटना को कारित करने वाला वाँछित अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी बी 118 न्यू डिफेन्स कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद हाल पता म0नं0 ए 106 फ्लेट नं0 203 संगम सोसायटी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को राजेन्द्र नगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चार पहिया वाहन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त अरूण कुमार उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरुण कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी बी 118 न्यू डिफेन्स कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद हाल पता म0नं0 ए 106 फ्लेट नं0 203 संगम सोसायटी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चार पहिया वाहन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपरिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।